

उपराष्ट्रपति डेल्सी ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला

वेनेज़ुएला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने लोगों से अमेरिकी कार्यवाही का विरोध करने के लिए कहा

काराकास, 04 जनवरी। वेनेज़ुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शनिवार देर रात उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिज़ ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है।

यह आदेश अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन, एम्बोल्यूट रिजॉल्व, के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तारी के बाद आया ।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कैरिस्लिया रोड्रिज़ ने सरकारी टीवी चैनल वीटीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा था, “राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि गणतंत्र की कार्यकारी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक क्षमता में राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को संभालें। यह निर्णय प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।”

■ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रोड्रिज़ ने मंत्रियों व अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सत्र की अध्यक्षता की तथा अमेरिकी ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून व वेनेज़ुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया।

वेनेज़ुएला का संविधान अनुच्छेद 233 और 234 के तहत ऐसी स्थितियों का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति की अस्थायी या पूर्ण अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति को पदभार संभालने की अनुमति देते हैं।

मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों बाद, जस्टिस रोड्रिज़ ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने मादुरो दंपति की तत्काल रिहाई की मांग की और अमेरिकी ऑपरेशन की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेज़ुएला की संप्रभुता का

खुला उल्लंघन बताया।

जस्टिस रोड्रिज़ ने इस बात पर जोर दिया कि मादुरो ही वेनेज़ुएला की एकमात्र वैध राष्ट्रपति हैं। उन्होंने वेनेज़ुएला के लोगों से इस ऑपरेशन का विरोध करने का आग्रह किया और मध्य अमेरिकी देशों की सरकारों से इसकी निंदा करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने वेनेज़ुएला के लोगों और क्षेत्र के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए गंभीर सैन्य हमले और मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई वेनेज़ुएला के संविधान, अंतरराष्ट्रीय कानून और

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य वेनेज़ुएला के रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा करना है।

चीन ने वेनेज़ुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका से मांग की है कि वह मादुरो दंपती को तत्काल रिहा करे। चीन ने चेतावनी दी है कि किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ बल का ऐसा प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में अमेरिका से वेनेज़ुएला की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बंद करने और विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालने का आग्रह किया गया है।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने शनिवार को घोषणा की कि वह वेनेज़ुएला के खिलाफ अमेरिकी अभियान पर सोमवार को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगी।

प्रियंका गांधी असम स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख बनीं

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। कांग्रेस ने वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा को असम में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए

■ हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल, मधुसूदन मिस्त्री को केरल तथा टी.एस. सिंह देव को तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीके हरिप्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। केरल के लिए यह जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री, और तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी टीएस सिंह देव को दी गई है।

वाड़ा को पहली बार पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी है। इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस सैन्य हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार दिया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी

■ महासचिव जयराम रमेश ने सैन्य हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया।

कर अमेरिकी का कार्रवाई को वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध बताया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ”भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 24 घंटों में वेनेज़ुएला को लेकर अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का इस तरह से एकतरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता।”

कांग्रेस का यह बयान वैश्विक संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति पार्टी के पुराने रुख को दोहराता है।

ममदानी के उमर खालिद को लिखे हस्तलिखित नोट ने अमेरिकी सिनेटरों को प्रेरित किया

अमेरिका के इन जनप्रतिनिधियों ने भारत के राजदूत मोहन क्वात्रा को पत्र लिखकर चिंता जताई, उमर खालिद पाँच साल से भारत में जेल में हैं तथा अभी उसे न तो चार्जशीट दी गई है और न ही सुनवाई शुरू हुई है

- श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 जनवरी। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद के लिए तेज़ और निष्पक्ष मुकदमे की माँग करते हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ एक कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया है। ममदानी का खालिद के नाम हाथ से लिखा नोट जब सोशल मीडिया पर डाला गया, उसके बाद अमेरिका के आठ सांसदों ने वॉशिंगटन में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने छात्र नेता उमर खालिद की बिना ट्रायल के लंबे समय से चल रही हिरासत पर चिंता जताई, जिन्हें लगभग पाँच साल से यूएपीए कानून के तहत जेल में रखा गया है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में

■ जैसा कि विदित ही है, उमर खालिद, शारजील इमाम, गुल फिशा फातिमा व मीरान हैदर, 2020 के दिल्ली दंगों में भारी “साजिश” रचने के आरोप में जेल में हैं, यू.ए.पी.ए. कानून के अंतर्गत।

■ भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी व भारतीय राजदूत क्वात्रा को पत्र लिखने वाली अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य जैन शकाओस्की मिलकर भारत विरोधी अभियान चलाते आए हैं तथा राहुल गांधी का नाम सदा उभरकर आता है, जब भी विदेश में भारत विरोधी किसी गतिविधि की कोई खबर आती है।

सांसद जेम्स पी. मैकगवर्न और जैमी रैस्कन, सीनेटर क्रिस वैन होलन और पीटर वेल्च तथा कांग्रेस सदस्य हमिला जयपाल, रशीदा तलेब, लॉरेंड डॉगिट और जेन शाकॉव्स्की शामिल हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने इसे “भारत विरोधी अनर्थकारी साजिश” करार देते

बताते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी, शाकॉव्स्की और भारत विरोधी रुख रखने वाली इल्हान ओमर की एक तस्वीर पोस्ट की। भंडारी ने कहा, “जब भी विदेशों में भारत विरोधी कहानी चलती है, तो पृष्ठभूमि में राहुल गांधी का नाम सामने आता है। जो लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहते हैं और भारत विरोधी आतंक सम्बन्धी कानूनों को कमजोर करना चाहते हैं, वे अनिवार्य रूप से उनके आसपास ही जुटते हैं।

भंडारी ने आगे दावा किया कि राहुल की 2024 में शाकॉव्स्की और ओमर से मुलाकात का संबंध विदेशों में कानूनी प्रयासों से था। उन्होंने 2025 में शाकॉव्स्की द्वारा पेश किए गए “कॉन्बैटिंग इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया एक्ट” का हवाला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर में सरहद के पास संदिग्ध मौलवी गिरफ्तार

जैसलमेर, (नि.सं.)। भारत-पाकिस्तान सरहद पर जैसलमेर जिले में एंटी-टेरिस्ट स्क्वाड ने एक संदिग्ध मौलवी को पकड़ा है। गणतंत्र दिवस से

■ एंटी टैरिस्ट स्क्वाॅड (एटीएस) कई दिनों से मौलवी की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था।

पहले हुई इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आतंकवादी गतिविधियों के खुफिया इनपुट के आधार पर टीम ने शनिवार को तनोट-किशनगढ़ क्षेत्र में कुरिया बेरी गांव में दबिश दी। मौलवी को जयपुर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ होगी।

सूत्रों के अनुसार, आतंकवादी गतिविधियों के शक में पकड़ा गया मौलवी अलीखान बीकानेर में छत्तरगढ़ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)